कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 झांसी।

पत्रांक :– 382 /18ए0/2026–27 दिनांक :– 14.05.2026

अल्पकालीन ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस

1. महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी द्वारा सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रतिशत दर पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्रत्येक निविदादाता एक या सभी कार्य के लिये निविदा डाल सकता है।

2.

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत (लाख रू0)	धरोहर धनराशि (लाख रू0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय का पता	मुख्य अभियन्ता कार्यालय का पता	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अष्टम आमंत्रण								
1	झांसी	स्यावरी सम्पर्क मार्ग में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	7.56	0.76	निविदा मूल्य+ स्टेशनरी मूल्य +जी0एस0टी0 = 860.00	2 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी	झांसी वृत्त, लो0नि0वि0, झांसी	झांसी क्षेत्र, लो0नि0वि0, झांसी	D & Above

3. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुये कॉलम–7 में वर्णित है।
4. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापिस नहीं ली जा सकती है।
5. निविदा प्रपत्र बेबसाइट etender.up.nic.in से भी डाउन लोड किए जा सकते हैं। कॉलम संख्या 6 में अकिंत नॉन रिफण्डेवल निविदा प्रपत्र शुल्क, ई–टेंडर से भुगतान पॉर्टल पर E-Tender online Government Account में नेट बैंकिग के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा, जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी के पक्ष में भुगतान हेतु झांसी में देय होगा। समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि टेंडर डालने की प्रक्रिया तब तक प्रोसेस नही होगी जब तक कि निविदा प्रपत्र शुल्क ई–टेंडर पॉर्टल पर नेट–बैंकिग के माध्यम से जमा न हो जाये।
   निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र शुल्क ऑनलाईन जमा कराने की ट्रान्जिकशन रसीद प्रमाण के रूप में जमा करनी होगी जो ई–टेंडर पॉर्टल पर नेट बैंकिग के माध्यम करने पर प्राप्त होगी।
6. निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी बेबसाइट http:/etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। पंजीकृत निविदादाता द्वारा जो विवरण ई–टेण्डरिंग, एन0आई0सी0 की साईट पर अपलोड किया जाना है। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग की बेव–साईट www.uppwd.gov.in पर चाणक्य पोर्टल के प्रहरी सॉफ्टवेयर में भी लोड करना होगा। प्रहरी का यू0आर0एल0 http://wms.uppwd.gov.in/Prahari/ है।
7. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 15.05.2026 से 21.05.2026** (दोपहर 12:00 बजे) तक प्राप्त की जायेगी तथा **दिनांक 21.05.2026** (दोपहर 12:30 बजे) को तकनीकी बिड खोली जायेगी। यदि निविदा प्राप्ति या खुलने की तिथि को कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदायें क्रमशः अगले कार्यदिवस में निर्दिष्ट समय व स्थान पर प्राप्त व खोली जायेगीं। वित्तीय बिड खोले जाने का दिनांक एवं समय का नोटिस जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी के कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सूचित किया जायेगा। वित्तीय बिड ऑन लाईन खोली जायेगी।
8. प्रत्येक कार्य के लिये निविदादाताओं की शंका समाधान हेतु **दिनांक 16.05.2026** को 12:00 बजे अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में आई0टी0बी0 के क्लॉज–9.2 के अनुसार बैठक आहूत की जायेगी।
9. कार्य की कॉलम संख्या–5 के अनुसार धरोहर धनराशि बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कॉलम संख्या–5 के अनुसार धरोहर धनराशि ई–टेंडर पॉर्टल पर E-Tender online Government Account में नेट बैंकिग के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा, जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी के पक्ष में बंधक होगी। समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि टेंडर डालने की प्रक्रिया तब तक प्रोसेस नही होगी जब तक कि निविदा प्रपत्र शुल्क ई–टेंडर पॉर्टल पर नेट–बैंकिग के माध्यम से जमा न हो जाये। धरोहर धनराशि किसी ओर रूप में स्वीकार नही की जायेगी।
   निविदादाताओं को धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा कराने की ट्रान्जिकशन रसीद प्रमाण के रूप में जमा करनी होगी जो ई–टेंडर पॉर्टल पर नेट बैंकिग के माध्यम से भुगतान करने पर प्राप्त होगी।
10. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & Their Spoused) कार्य से सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
11. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिन्होंने राज्य अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुये दो वर्ष पूर्ण नहीं किये हैं, को ठेकेदार के रूप में अथवा ठेकेदार कर्मचारी के रूप में कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं है। यदि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात भी यह संज्ञान में आता है कि निविदादाता अथवा उसके यहां कार्यरत अभियन्ता पिछले दो वर्ष से कम की अवधि में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, तो ऐसी दशा में उनकी निविदायें तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

12. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे–अर्हता, कार्य की विशिष्टियां, ड्राइंग विभिन्न कार्यों के शिड्यूल ऑफ क्वान्टिटी (जो कार्य किया जाना है) अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के कार्यदिवस **दिनांक 15.05.2026 से 21.05.2026** के मध्य देखी जा सकती है।
13. आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
14. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
15. प्रत्येक निविदादाता रू0 100/– के नॉन–जूडिशियल स्टाम्प पेपर, ऑन लाईन शपथ पत्र पर सभी सूचनायें सही होने की उपलब्ध करायी जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैस–टी–4, टी–5, टी–6 मूल रूप में बिड के साथ जमा की जायेंगी।
17. शासनादेश संख्या–692/23–07–2024 लोक निर्माण अनुभाग–7 दिनांक 09.08.2024 के अनुसार निर्माण कार्यो में ठेकेदार/फर्म कम (Below) टेण्डर पर कार्य स्वीकृत करने के साथ–साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी
    (क) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी।
    (ख) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी।
18. 1 % लेवर सेस की कटौती ठेकेदार के देयकों से की जायेगी।
19. डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि से 02 वर्ष होगी।
20. बिल ऑफ क्वान्टिटी की दरें जी.एस.टी. रहित हैं। जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार अलग से देय होगा।
21. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातायात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
22. निविदादाताओं का सुसंगत कार्य हेतु पंजीयन सुसंगत श्रेणी में होना अनिवार्य है।
23. लोक निर्माण विभाग में निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रहरी साफ्टवेयर के माध्यम से होना है। प्रहरी का यू0आर0एल0 http://wms.uppwd.gov.in/Prahari/ है। वेबसाइट खोलने पर प्रहरी लॉगइन के पेज खुलेगा जिस पर यूजर टाईप कान्ट्रैक्टर चयनित करते हुए लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के लिए यूजर नेम एवं पासवर्ड हेतु चणक्य पर ठेकेदार पंजीकरण हेतु उपयोग में लाया जाने वाला यूजर नेम एवं पासवर्ड ही होगा। प्रहरी पर निविदादाता को निविदा सम्बन्धी समस्त वांछित सूचना तथा आवश्यक अभिलेख अपलोड करना है जिसकी विस्तृत जानकारी प्रहरी पर उपलब्ध होगी। यदि निविदादाता द्वारा प्रहरी पर सूचना तथा आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किया जाता है तो निविदादाता द्वारा डाली गयी निविदा का तकनीकी मूल्यांकन नहीं हो पायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविददाता की होगी।
24. प्रहरी पर समस्त सूचना व अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत करने के उपरान्त निविदादाता द्वारा तकनीकी शीट ई–1 डाउनलोड की जोगी, जिसकी कापी स्कैन कर e-tender portal http://etender.up.nic.in पर अपलोड करनी होगीं निविदाता द्वारा तकनीकी शीट ई–1 के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर टेक्निकल बिड से सम्बन्धित तकनीकी शीट ई–1 के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख अपलोड किया जाता है तो उसे तकनीकी मूल्यांकन हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। बाद में इस सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
25. प्रहरी पर कतिपय सूचना/अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त अन्तिम रूप से प्रस्तुत सबमिट करने हेतु विभाग से अनुमोदित कराना आवश्यक है, जिस हेतु निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि मूल अभिलेख के साथ विभाग के किसी खण्ड/वृत्त में सम्पर्क कर सम्बन्धित सूचना/अभिलेख को अनुमोदित कराना सुनिश्चित करें।

(इं0 रजनीश गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।
वास्ते – महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJNIISH GUPTAA
Date: 2026.05.16 11:45:31 IST
Location: Uttar Pradesh UP